कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1854/ 36 प्रा०   दिनांक 20 / 11 /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक 292/12–1 देहरादून दिनांक अगस्त 1/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया था।

अतः निम्नलिखित आपित्तयो का निराकरण कर बिन्दुवार निम्वत है।

क्रम सं0	प्रस्ताव में कमिया	निराकरण
1	प्रस्ताव दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव की एक अतिरिक्त हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	उपलब्ध करा दिया गया है।
2	प्रस्ताव में सभी प्रपत्र/प्रमाण–पत्रों को क्रमवार यथास्थान विषयसूची तैयार कर संलग्न की जानी है।	संलग्न कर दिया गया है।
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग 1,2 एवं 3 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्ताव के प्रारम्भ में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न कर दी गई है। भाग–2 व भाग–3 वन विभाग के स्तर से होगा।
4	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंचालय नई दिल्ली के पत्र सं0–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है–	
	In respect of liner project, the stluplntet norms of 2% and 0.5% toward the cost of Wildlife Management Plan and soil and Moisture Conscrvation Plan, as provided in the Ministry'S guidelines dates 08-06-2022, will be proportionate to the oxlonot of forest land involved instend of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.	वन विभाग के स्तर से होना है।
	The provision of wildlife management plan or soil moisture conservation plan shall be approved by the compentent authority in the state and accordingly, the doficlt amount , if	वन विभाग के स्तर से होना है।

	any, from the money already realized from to the tone of 2% and / or 05% of project cost proportionale to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency , and the same shall be deposite in to the CAMPA account.	
उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपालोड किया जाए।		
5	प्रस्ताव में Existing Road से लाभान्वित होने वाले गॉव की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्तावित परियोजना में अत्याधिक वृक्षों का पातन निहित है। वृक्षों की संख्या को न्यूनतम तक सीमित किया जाय।	परियोजना के पूर्व में ही न्यूनतम वृक्षों के पातन का अनुपालन किया गया है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल स्थनीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढ़ग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल का वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट–II में यथास्थान अपलोड किया जाय।	मग डपिंग स्थलों का सीमांकन कर दिया गया है।
8	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
9	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)	वन विभाग के स्तर से होना है।
10	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नही फेंकी जाएगी।	शपथ पत्र संलग्न कर दिया गया है।
11	के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाए। मौजूदा सड़को और प्रस्तावित सड़को को अलग–अलग रंगो से चिन्हित किया जाए।	के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित गांव के पास सड़को को चिन्हित कर दिया है और मोजूदा सड़कों को अलग रगों से दर्शा दिया गया है।
12	डम्पिग यार्ड को जनपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
13	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार किया जाये की वह हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
14	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्ज इस्टीटयूट द्वारा विकसित	अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	
15	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को और पौधों की जड़ो के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ो पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पौषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते है।	वन विभाग द्वारा किया जाना है।

ह०/-

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली चमोली

पत्रांक 1854/36 सी०　　　　दिनांकित 20/ 11 / 2024

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगत फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहारादून को सादर प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता 7वॉ वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता नि०ख०,लो०नि०वि० थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/-

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner